

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

\*\*\*\*\*

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/संज्ञेसन्स

दिनांक 08.07.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें  
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें  
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

महाप्रबंधक/पीआरएस  
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 34)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन

संदर्भ: 2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के तहत जारी अनुदेश

वाईटीएसके योजना को 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत परिपत्रित किया गया था और मसौदा करार को 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के तहत परिपत्रित किया गया था। उसके बाद, उपर्युक्त अनुदेशों के तहत इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए थे। उपर्युक्त वाणिज्यिक परिपत्र के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि वाईटीएसकेएल द्वारा यात्रियों पर लगाए गए संपूर्ण सेवा प्रभार पर सेवाकर वाईटीएसके द्वारा सेवाकर में संबंधित क्षेत्रीय रेलों के शेयर को ध्यान में रखे बिना जमा कराया जाना है और क्रिस को सूचित किया गया था कि वह सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करे और वाईटीएसके द्वारा जारी टिकट पर सेवाकर और उपकर मुद्रित करने की सुविधा मुहैया कराए।

2. बहरहाल, रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय से परामर्श करके इस मामले की पुनः जांच की गई है और वाईटीएसके के लेखाओं को परिचालित करने और संकलन करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा तैयार किए गए जेपीओ के पैरा 3 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि केन्द्र, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जाने वाले सभी लागू सांविधिक कर/प्रभार, लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे अर्थात् वाईटीएसके द्वारा यात्री से प्राप्त किए गए सेवा प्रभारों में सेवाकर शामिल है, यह निर्णय लिया गया है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी दिनांक 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-एसटी के तहत दिए गए 10 लाख रुपए की सीमा तक की छूट के अध्याधीन सेवा प्रभारों के सेवाकर भाग को स्वयं कर प्राधिकारियों को जमा करेगा।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, टिकट पर टैक्स एलिमेंट मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के लेखा और वित्त(वाणिज्य) निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन  
रेलवे बोर्ड

(टी. डी. द्दिवेदी)

निदेशक वित्त लेखा  
रेलवे बोर्ड

(रवीन्द्र एन. मिश्र)

निदेशक वित्त (वाणिज्य)  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरनगर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
- 8) महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
- 9) महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions

Date: 08.07.2016

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways  
FA & CAO, All Zonal Railways  
Director (Audit), All Zonal Railways

General Manager/PRS  
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 34 OF 2016)

**Sub:** Establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

**Ref:** Instructions issued vide Commercial Circular no. 18 of 2016.

The scheme of YTSK was circulated vide Commercial Circular no. 33 of 2014 & draft agreement was circulated vide Commercial Circular No. 39 of 2014. Thereafter certain modifications were made in the scheme vide instructions mentioned above. Vide Commercial Circular referred above it was clarified that service tax on the full service charges levied from passengers by YTSKL is to be deposited by YTSKL irrespective of share of concerned Zonal Railway in service charges and CRIS was advised to make necessary changes in the software and to provide the facility of printing of service tax and cess on the ticket issued by YTSK.

2. However, the matter has further been examined in consultation with Accounts Directorate of Ministry of Railways and as per para 3 of JPO prepared by Northern Railway for operation and compilation of accounts of YTSK which states that all applicable statutory taxes/charges as levied by Central, State Govt. and any other authority shall be borne by licensee i.e. service charge received from passenger by YTSK is inclusive of the service tax, it has been decided that the YTSK Licensee shall himself/herself remit the service tax portion from the service charges to the tax authorities subject to threshold exemption of Rs. 10 lakhs provided under Notification no. 33/2012-ST dated 20.06.2012.

3. In view of the above there is no need to print tax element on the ticket.


4. This issues with the concurrence of Accounts and Finance(Commercial) Directorates of Ministry of Railways.



(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board



(T.D. Diwivedi)  
Director Finance Accounts  
Railway Board



(Rabindra N. Mishra)  
Director Finance (Commercial)  
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-226001.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*